

(2)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल म.प्र. १
 निम्नरान्नी 1566-PBR-15 पुनरीक्षण क्रं- _____/

महेश कुशवाहा आ. स्व. कुंजीलाल आयु वयस्क
 निवासी- ग्राम पिपलिया बाज खां भोपाल म.प्र. १ ----- पुनरीक्षणकर्ता
 विरुद्ध

बाला प्रसाद आ. स्व. कुंजी लाल आयु वयस्क
 निवासी ग्राम पिपलिया बाज खां तहसील
 हजूर जिला भोपाल म.प्र. १ ----- रैस्पान्डेंट

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. ध.राजस्व संहिता
 1959 ।

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न निवेदन करता है:-
 अनावेदक / रैस्पान्डेंट द्वारा वर्ष 2013 -14 में ग्राम
 पिपलिया बाज खां तहसील हजूर जिला भोपाल स्थित कृषि भूमि
 खसरा क्रं- 132/2, 133/2, 134/2 का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र
 प्रस्तुत किया गया, जिस पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की
 गई थी, पुनरीक्षणकर्ता की आपत्ति मान्य करते हुये सीमांकन कार्यवाही
 रोक दी गयी थी । जिसे अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार
 वृत्त क्रं-2 भोपाल ने प्रकरण क्रं- 5/अ-12/13-14 से विनियत किया
 गया है । जिसके विरुद्ध यह रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष
 प्रस्तुत है ।

(Signature)

मिलान
 3/16

12
 -6/15


194
 श्री पी. विवादी
 द्वारा आयु 80
 15 वर्ष प्रमाण
 8/15/15
 अधीक्षक
 य कमिश्नर
 भाग, भोपाल
 नि. 3
 महेश

27.8.2015

अध्यक्ष

अवेक की ओर से श्री बी०
पी० तिवारी अभिभाषक (उपाध्यक्ष)
शास्त्रिता पर सुना गया। यह
शिवरात्री अधीनस्थ शाखाओं के
दिली आदेश के विरुद्ध प्रस्ताव
नहीं गई है। अतः प्रथम दृष्टया शिवरात्री
विषय अनुसार प्रस्ताव नहीं किये
जाने के कारण अज्ञात की जाती
है।




अध्यक्ष

शिवरात्री
की.प्र.स.प.
(क)

शिवरात्री